प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 34/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भादूविप्रा द्वारा अपने दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018) के अंतर्गत एक्सेस प्रदाताओं को निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं।

क) एक्सेस प्रदाता के मोबाइल एप्स और वेब पोर्टल के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) शिकायतों, अधिमानों और सहमति के पंजीकरण को उपयोगकर्ता के अनुकूल बेहतर बनाने के संबंध में निर्देश, और

ख) मासिक आधार पर संशोधित प्रारूपों में प्राधिकरण को निष्पादन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश।

नई दिल्ली, 24 जून 2024 - अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी), जिसे आमतौर पर स्पैम कहा जाता है, की समस्या को कम करने के अपने निरंतर प्रयास में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने एक्सेस प्रदाताओं को अपने मोबाइल एप्स और वेब पोर्टल्स को बेहतर बनाने का निर्देश दिया है, ताकि यूसीसी शिकायत के पंजीकरण और अधिमान समुच्चय के लिए उन्हें अधिक से अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके।

भादूविप्रा ने एक्सेस प्रदाताओं को अधिदेशित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) शिकायत पंजीकरण और अधिमान प्रबंधन के विकल्प आसानी से एक्सेस प्रदाताओं के मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों पर उपलब्ध हों।

यूसीसी के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए, भादूविप्रा ने निष्पादन निगरानी रिपोर्ट प्रारूपों (पीएमआर) में संशोधन लागू किए हैं। इस पर बारीकी से निगरानी करने हेतु, पिछले त्रैमासिक रिपोर्टिंग चक्र के विपरीत, सभी एक्सेस प्रदाताओं को मासिक आधार पर पीएमआर जमा करना आवश्यक होगा।

(महेंद्र श्रीवास्तव)

सचिव (प्रभारी), भादूविप्रा

****